अनुसूची दि फारम संख्या 582

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक जाकिर हुसैन ....प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष मुस्ताक अंसारी वगैरह ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....207.... सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18/11/21	आवेदक/आवेदिका – जाकिर हुसैन पिता सलामत मियॉ ग्राम + पो० – हेसला, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह, द्वारा दं० प्र० स० कि धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा – हैसला थाना नं० – 104 , खाता सं० – 45 प्लॉट नं० – 526 कुल रकवा – 37 डी० मध्ये रकवा 27 डी० चौहदी उ० – जी० टी० रोड, दं० – रसुल मिस्त्री प्लॉट नं० 528, पु० – रसुल मिस्त्री प्लॉट नं० 528, पं० – रसुल मिस्त्री प्लॉट नं० 528 कुल खाता 1 प्लॉट 1 कुल रकवा 27 डी० मे भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्रप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी बगोदर /थाना प्रभारी बगोदर से मांगे। अभिलेख दिनांक 02/12/2021 को उपस्थापित करें। 18/11/21 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	390/21 23/11/21
18/11/21	आवेदक से प्राप्त आवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूं कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की	

और तारीख		टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूं कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एतद् मा दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित अनु० दण्डा० बगोदर - सरिया अनु० दण्डा० बगोदर - सरिया	

और तारीख		टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07/12/24	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष उपस्थित। अभिलेख 16/12/24 को रखें। [illegible]	
16/12/24	उभय पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष के द्वारा S/C दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के अनुसार प्रश्नागत भूमि उन्हें विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त है। परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा विक्रय पत्र की प्रति दाखिल नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नागत भूमि उन्हें रिटर्न केस सं० - 108/1957 के द्वारा दाखिल है तथा उक्त भूमि का माल निर्धारण नियमत जाँचोपरान्त भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर सरिया के द्वारा किया गया है। द्वितीय पक्ष के	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	कारण पूछा तथा बहस से संतुष्ट होकर उनके हित में नियमन को रिक्त किया जाता है तथा प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित किया जाता है। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। (हस्ताक्षर) 16/12/21	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.12.16 17:07:05 +05:30
Location: 192.168.43.238